न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

रैयती अपील वाद संख्या–21/2017–18

सिद्धेश्वर राय बनाम **राज्य**

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
22/11/18	**आदेश** यह अपील बकास्त/गैरमजरूआ मालिक भूमि रैयती अभिलेख सं0 34बी0/2017–18 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक–08.11.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है। **आवेदक का कहना है कि** (1) बिहटा अंचल अंतर्गत मौजा विशम्भरपुर थाना नं0 57 खाता नं0 414 खेसरा नं0 637 रकवा 98डी0 सर्वे खतियान में बकास्त ब्रहमोतरदार बकब्जे बेनी दूबे वो जानकी दूबे वो रघुवर दूबे दर्ज है। (2) खतियानी रैयत के वंशज सुरेश दूबे वो रामानुज दूबे के द्वारा अपने हिस्से के 16डी0 की बिक्री निबंधित वसीका से रामनाथ तिवारी को कर दी गयी। वर्ष 1966 में रामनाथ तिवारी के द्वारा उक्त 16डी0 भूखण्ड सिद्धेश्वर राय वो लाल देव राय (अपीलार्थी) को कर दी गयी। खरीदगी के पश्चात प्रश्नगत भूखण्ड पर अपीलार्थी का दखल–कब्जा है तथा लगान रसीद निर्गत हो रही है। (3) प्रश्नगत भूखण्ड का अर्जन बिहटा सैन्य हवाई अड्डा के विस्तारीकरण हेतु किया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड पर रैयती दावा घोषित करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में रैयती वाद सं0 34बी0 वर्ष 2017–18 लाया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा तथ्यों एवं साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए प्रश्नगत भूखण्ड को सरकारी घोषित कर दिया गया, जो रद्द करने योग्य है। **अपीलार्थी के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।** (1) दिनांक–11.04.1966 का केवाला एवं उसका हिन्दी अनुवाद जो प्रश्नगत खाता, खेसरा के 16डी0 के लिए रामदेव तिवारी के द्वारा लाल देवी राय वो सुदेश्वर राय को लिखा गया है।	

(2) सुरेश दूबे का वंशावली संबंधी शपथ–पत्र

(3) सिद्धेश्वर राय का वंशावली संबंधी शपथ–पत्र

(4) सर्वे खतियान

(5) सिद्धेश्वर राय के नाम से निर्गत वर्ष 1982–83, 1983–84, 1985–86, 2013–14 एवं 2016–17 की लगान रसीद

राज्य सरकार की तरफ से सहायक सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि

(1) प्रश्नगत भूखण्ड बकास्त ब्रहम्तोरदार है, जो पूजा पाठ के लिए दी गयी थी। इसको बिक्री करने का अधिकार नहीं था।

(2) जमीन्दारी उन्मूलन के समय प्रश्नगत भूखण्ड किसके दखल–कब्जा में थी, इसका कोई साक्ष्य नहीं है।

(3) अपीलार्थी के बिक्रेता की जमाबंदी कायम होने का कोई साक्ष्य नहीं है।

(4) वाद सं0 34बी0/2017–18 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है तथा अपीलार्थी का दावा रद्द करने योग्य है।

उभय पक्ष को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के परिशीलन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत भूखण्ड बकास्त ब्रहम्तोरदार है, जो पूजा पाठ हेतु भूतपूर्व मध्यवर्ती के द्वारा दिया गया होगा। अपीलार्थी मात्र वर्ष 1966 के केवाला के आधार पर दावा कर रहे है, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि जमीन्दारी उन्मूलन के समय प्रश्नगत भूखण्ड किसके दखल कब्जा में थी। जमीन्दारी उन्मूलन के वर्ष की कोई लगान रसीद भी संलग्न नहीं की गयी है। अपीलार्थी के बिक्रेता के नाम से भी जमाबंदी कायम होने का कोई साक्ष्य नहीं है। अतः बकास्त/गैरमजरूआ मालिक भूमि रैयती अभिलेख सं0 34बी/2017–18 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक–08.11.2017 को पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील अस्वीकृत की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

24/11/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

24/11/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना